न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- सतीश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 463/2024
वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

उग्रसैन बुहानिया पुत्र श्री मदनलाल जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

— वादी

बनाम

1. मदनलाल पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सुनीता पुत्री श्री मदनलाल जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

— प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-
वादीगण की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 3.9.2024

वादी उग्रसैन बुहानिया ने प्रतिवादीगण मदनलाल वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता एवं प्रतिवादीया सं. 2 वादी की बहिन है जो कि एक संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 10 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 136/75 जमाबन्दी सम्वत 2073-76 में 0.253 है. कृषि भूमि एवं वादी एवं प्रतिवादीया सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 10 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 75/71 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.327 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। उक्त बंटवारा में प्रतिवादीया सं. 2 ने उक्त विरासतन कृषि भूमि में अपने हक का परित्याग मौखिक रूप से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया इसलिये प्रतिवादी सं. 3 अब उक्त भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को बंटवारा में प्राप्त विरासतन कृषि भूमि निम्न प्रकार से प्राप्त हुई है :-

(क) वादी उग्रसैन बुहानिया पुत्र श्री मदनलाल जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-
चक 10 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 75/71 जमाबन्दी [illegible]

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
160/170	15	4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.
		5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., [illegible]
		कुल 1.012 है. मय मौ.मु. कृषि [illegible]

(ख) प्रतिवादी सं. 1 मदनलाल पुत्र श्री रामप्रताप [illegible] तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व [illegible] विवरण :-
चक 10 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 75/71 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
160/170	15	17/2/0.062 है., 25/0.253 है.
		कुल 0.315 है. कृषि भूमि

Signature Not Verifie
Digitally signed by Rakes
Meena
Date: 2024.09.10 11:36:1
Reason: SelfAttested

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

चक 10 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 136/75 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
161/170	14	21/0.253 है.
		कुल 0.253 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 3 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में तहसील संगरिया के चक 10 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 136/75 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 सांझा खाता के काश्तकार है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 10 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 136/75 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.253 है. कृषि भूमि एवं वादी एवं प्रतिवादीया सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 10 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 75/71 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.327 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 सांझा खाता के काश्तकार है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.10 11:36:1
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-

(क) वादी उग्रसैन बुडानिया पुत्र श्री मदनलाल जाति जाट निवासी [illegible] तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण चक 10 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 75/71 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
160/170	15	4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,
		5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6,7/0.253 है.प्र.
		कुल 1.012 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

लगातार --3

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(ख) प्रतिवादी सं. 1 मदनलाल पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 10 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 75/71 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
160/170	15	17/2/0.062 है., 25/0.253 है.
		कुल 0.315 है. कृषि भूमि

चक 10 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 136/75 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
161/170	14	21/0.253 है.
		कुल 0.253 है. कृषि भूमि

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर कब्जाकाश्त के अभाव में प्रतिवादीगण/सहखातेदारान का नाम कब्जाकाश्त के अभाव में कलमजन किया जाकर खाता अलग से कायम किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 3.9.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.09.10 11:36:11 IS
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 463/2024

उग्रसैन बुडानिया पुत्र श्री मदनलाल जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

मदनलाल पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

सुनीता पुत्री श्री मदनलाल जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 3.9.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादीगण मिन जानिब मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है किः-

वादी उग्रसैन बुडानिया पुत्र श्री मदनलाल जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 10 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 75/71 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
160/170	15	4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,
		5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6,7/0.253 है.प्र.
		कुल 1.012 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 1 मदनलाल पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 10 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 75/71 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
160/170	15	17/2/0.062 है., 25/0.253 है.
		कुल 0.315 है. कृषि भूमि

चक 10 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 136/75 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
161/170	14	21/0.253 है. कुल 0.253 है. कृषि भूमि

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर कब्जाकाश्त के अभाव में प्रतिवादीगण/सहखातेदारान का नाम कब्जाकाश्त के अभाव में कलमजन किया जाकर खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....X.... निल ....X.... मुब्लिक ....X.... निल ....X.... बाबत .... जालाना आज की तारीख
निल....X.... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी
वसूलयाबी तक ....X....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 3.9.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.10 11:36:11
Reason: SelfAttested